प्रश्न सं. [क्र. 2291]

प्रपत्र अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2291
माननीय विधायक - श्री ...
प्रश्न के उत्तर देने का दिनांक 6.3.21

1/2

अध्याय – 2 परिभाषाएँ (Definitions)

2.1 इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो :

(ए) "अधिनियम(Act)" से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) जैसा कि इसे समय–समय पर प्रवृत्त किया जाए;

(बी) "अनुबंध (Agreement)" से तात्पर्य अपने व्याकरणिक विभेदों और समीपी अभिव्यक्तियों के साथ इस संहिता के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किये गये अनुबंध से है;

(सी) "उपकरण (Apparatus)" से तात्पर्य विद्युत उपकरण से है और इसमें सभी यंत्र, आवश्यक यंत्र, उपसाधन और उपकरण सम्मिलित हैं जिनमें विद्युत चालकों (Conductors) का प्रयोग किया जाता है ;

(डी) "विद्युत प्रदाय का क्षेत्र (Area of Supply)" का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत प्रदाय के लिये प्राधिकृत किया गया है;

(ई) "प्राधिकृत भार (Authorised Load)" का तात्पर्य किसी निम्नदाब उपभोक्ता के संबंध में अनुमानित भार (estimated load) से है जिसका उपयोग किसी उपभोक्ता द्वारा किसी माह के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत संयोजन से किया जा सकता है। इसे 0.5 किलोवाट के गुणज (multiple) में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा 75 यूनिट प्रति आधा किलोवाट प्रतिमाह खपत पर आधारित होगा। प्राधिकृत भार उपभोक्ता परिसर में स्वीकृत भार (sanctioned load) से कम अथवा इससे अधिक हो सकता है तथा इस पर निम्नदाब परिसर के अन्तर्गत कुल संयोजित भार को प्राक्कलित करने के प्रयोजन से विचार नहीं किया जाएगा;

(एफ) "प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officer)" से तात्पर्य है राज्य सरकार/आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(जी) "बिलिंग मांग (Billing demand)" किसी श्रेणी के लिये इसकी गणना मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत–दर आदेश (Tariff order) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

(एच) "बिलिंग माह (Billing month)" से तात्पर्य दो मापयन्त्र (मीटर) वाचनों के मध्य तिथियों के अंतर्गत दिवस संख्या की अवधि से है जिसे उपभोक्ता को बिलिंग के प्रयोजन से एक माह की अवधि पर विचार करते हुए माना गया है;

(आई) "व्यवधान (Breakdown)" से तात्पर्य है विद्युत तन्तुपथ (लाइन) सहित विद्युत प्रदाय प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना जो इसकी सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती हो ;

(जे) "संहिता (Code)" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, जैसा कि वह समय–समय पर प्रवृत्त हो ;

(के) "आयोग (Commission)" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission);

(एल) "चालक (Conductor)" से तात्पर्य है ऐसा कोई तार/तन्तु (wire), केबल (cable), छड़ (bar), नलिका (tube), पटरी (rail) या पट्टी (plate) जिसे विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त किया जाता हो तथा जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता हो कि उसे वैद्युतिक रूप से प्रणाली से संयोजित किया जा सके ;

(एम) "संयोजित भार (Connected Load)" का तात्पर्य उपभोक्ता के परिसर में निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार स्थापित ऊर्जा खपत के उन सभी विद्युत उपकरणों के विद्युत भार के कुल योग से है जिन्हे एक साथ उपयोग

6.31 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपभोक्ता को जानकारी देने के पश्चात् उसके परिसर में अनधिकृत विद्युत उपयोग की जांच, उपकरण में अनधिकृत वृद्धि एवं फेर–बदल, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत विचलन (power diversion), मापयन्त्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह न करते हुए बाह्य मार्ग से प्रवाहित करने (meter by-pass) या मापयन्त्र से छेड़छाड़ अथवा सामान्य निरीक्षण या परीक्षण के लिये तत्काल प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं। ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग, उपकरण में अनधिकृत वृद्धि एवं फेरबदल, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत के विचलन मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास (by-pass) मिलने पर अनुज्ञप्तिधारी प्रचलित कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

6.32 यदि वांछित परिसर के अधिवासी वयस्क पुरूष उपस्थित न हों तो, किसी भी घरेलू स्थल अथवा परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जांच, सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्यकाल के दौरान नहीं किया जाएगा।

6.33 यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त उल्लेखित कारणों से परिसर में प्रवेश करने के लिये युक्तियुक्त सुविधा प्रदान नहीं करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने के लिये परिसर में प्रवेश करने के उद्देश्य से उपभोक्ता को 24 घंटे की लिखित सूचना देगा । इसके बावजूद भी यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी प्रतिनिधि को प्रवेश करने की सुविधा प्रदान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करने हेतु प्राधिकृत होगा।

6.34 यदि उपभोक्ता की स्थापना का विसंवहन प्रतिरोध (insulation resistance) इतना न्यून पाया जाता हो, जिससे ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग प्रभावित होता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति 48 घंटे की सूचना देने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के अनुसार तथा विधि के अनुसार भी, अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना, दोषों के निराकरण होने तक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने हेतु प्राधिकृत होगा।

स्थापनाओं की विद्युत क्षमता का निर्धारण (Rating of Installations) –

6.35 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजित भार का निर्धारण उपकरणों के भार विवरणों के आधार पर किया जायेगा । तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हों कि कोई विशेष घरेलू संयोजन अथवा घरेलू संयोजनों का समूह विद्युत की अनधिकृत निकासी (abstraction) में सन्निहित हैं, तो प्रभारी अधिकारी, उपभोक्ता के परिसर का सर्वेक्षण संचालित कर सकेगा।

6.36 अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार के परिसरों का निरीक्षण करने, भार का आकलन करने तथा तदनुसार उपभोक्ता को इस बारे में सूचित करने के लिये स्वतन्त्र होगा। संविदा मांग/संयोजित भार से वास्तविक भार अधिक पाये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी नियमों तथा विनियमों के अनुसार अनुवर्ती कदम उठायेगा।

6.37 उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त, अन्य सभी श्रेणियों का संयोजित भार, एक साथ उपयोग किये जा सकने वाले सभी ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 2291
माननीय विधायक श्री ब्रह्मा भलावी
सदन के उत्तर देने का दिनांक - 5.3.21

प्रपत्र - क
1/1

प्रति,

....
....
....

विषयः-- संयोजित भार नियमित करने विषयक ।
संदर्भः-- आपका सर्विस कनेक्शन कमांक ....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके परिसर..................................के घरैलू विद्युत कनेक्शन कमांक .... जो कि.............................. नाम से है का स्वीकृत भार .... कि.वा / वाट है।

आपके परिसर के स्थल निरीक्षण / स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज अधिकतम मांग अनुसार आपका स्वीकृत भार संयोजित भार से कम है, जो कि सप्लाई कोड 2013 एवं अनुबंध की शर्तो का उल्लघन है।

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि 07 / 15 दिवसो में संयोजित विद्युत भार अनुसार भार स्वीकृती की औपचारिकताएं पूर्ण करावे ।

अन्य किसी जानकारी हेतु ____________ कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

निश्चित समयावधि में विद्युत भार नियमित नही कराये जाने पर सप्लाई कोड की धारा 6.35 एवं 6.36 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल